Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 100–2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 25, 2021 (ASADHA 4, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 25 जून, 2021

संख्या 7/1/2020–2मंत्रिमण्डल.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता हूँ , अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य संचालन (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977 में, नियम 5 में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु राज्य में नगरपालिका निकायों और पंचायती राज संस्थानों के संबंध में, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ये सरकार के त्रि–स्तरीय और पृथक स्तर का गठन करते हैं, के स्वामित्वाधीन भूमियों के हस्तांतरण को छोड़कर और अपवादात्मक परिस्थितियों में और मुख्य मंत्री के निर्देशाधीन के सिवाय, किसी भी ऐसे मामले, जिसके संबंध में नियम 7 के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है, पर परिषद् में तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक वित्त मंत्री को उस पर विचार करने के लिए अवसर नहीं दे दिया जाता।"।

चण्डीगढ़:
दिनांक 23 जून, 2021.

सत्यदेव नारायण आर्य,
राज्यपाल हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 25 जून, 2021.

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CABINET SECRETARIAT

Notification

The 25th June, 2021

No. 7/1/2020-2Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Satyadeo Narain Arya, Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977, namely:-

1. These rules may be called the Rules of Business of the Government of Haryana (Amendment) Rules, 2021.

2. In the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977, in rule 5, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that no case in regard to which the Finance Department is required to be consulted under rule 7 shall save in exceptional circumstances and under the directions of the Chief Minister be discussed by the Council unless the Finance Minister has had an opportunity for its consideration except alienation of lands owned by the Municipal Bodies and Panchayati Raj Institution of the State in consideration of the fact that they constitute a third and separate tier of Government.".

Chandigarh:
The 23rd June, 2021.

SATYADEO NARAIN ARYA,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 25th June, 2021.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government Haryana.

9215—C.S.—H.G.P. Pkl.